178
6/3/2018

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), सिंरोही

प्रेस–विज्ञप्ति

दिनांक 6 .03.2018

जिले में नवसृजित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है।

जिले की रिक्त उचित मूल्य दुकानों की सूचना

नाम तहसील	क्र.सं.	शहरी		क्र. सं.	ग्रामीण		आरक्षित
		शहरी	वार्ड संख्या		रिक्त दुकान का स्थान	ग्राम पंचायत	
सिरोही	1.	सिरोही	12, 13	1.	धान्ता	सिन्दरथ	
	2.	सिरोही	22	2.	मामावली	सरतरा	
शिवगंज				3.	बड़गांव	बड़गांव	
				4.	चांदना	केसरपुरा	
पिण्डवाडा	3.	पिण्डवाडा	11 व 12				
आबूरोड	4.	आबूरोड	22				
	5.	आबूरोड	29 व 30				

जिले में नवसृजित उचित मूल्य दूकानों की सूचना :–

नाम तहसील	क्र. सं.	शहरी		क्र.सं.	ग्रामीण		आरक्षित
		शहरी	वार्ड संख्या		नवसृजित दुकान का स्थान	ग्राम पंचायत	
सिरोही	1	सिरोही	10 व 11	1.	सनपुर (सियाकरा) चतुर्थ	सनपुर	
पिण्डवाडा							
	2.	पिण्डवाडा	15 व 16				
रेवदर				2.	बड़ेची	पादर	

प्रथम वरीयता में आने वाले

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि./लेम्पस/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति लि. जो कि सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत है।
2. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को 3 वर्ष का कार्य अनुभव हो ।
3. ग्राम पंचायत/निगमित निकाय

द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)

1. निःशक्त जन
2. महिलायें

VI. शहीद की विधवा
VII. विधवा
VIII. परित्यक्ता
IX. भूतपूर्व सैनिक
X. बेरोजगार

जिला कलक्टर (रसद)
सिरोही (राज.)

आवेदन पत्र केवल मात्र जिला रसद कार्यालय से जारी किये जायेंगे। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी, बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवदेन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/– निर्धारित किया गया है। जिला रसदर कार्यालय सिरोही से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी सिरोही के नाम से जमा कराया जाकर प्राप्त कर सकते हैं । आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20.03.2018 (सायं 6.00 बजे) नियत है। नियत तिथि पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

Scanned by CamScanner

ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों के मामलों में आवेदन उसी ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम का या वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है।

उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी आवश्यक है। अन्तिम तिथि को अर्थात 20.03.2018 को आवेदक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी आवश्यक है । अन्तिम तिथि को अर्थात 20.03.2018 को आवेदक की आयु 21 वर्ष से एवं कम 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

आवेदक की शैक्षिक योग्यता सामान्य रूप से स्नातक एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का तीन माह का आधारभूत कम्प्युटर प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए । यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षिक योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में 12वी कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के पत्रों को भी आवंटन के लिए स्वीकार किया जा सकेगा।

आवेदक द्वारा संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/– रूपये का हैसितय प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। महिला स्वंय सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला स्वंय अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000/– रूपये होना आवश्यक है।

शेष शर्ते एवं नियम आवेदन–पत्र के साथ संलग्न है।

आवेदन पत्र अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालय समय में दिनांक 20.03.2018 सांय 6.00 बजे तक जमा करवाये जा सकते है।

6-3-18

जिला कलेक्टर (रसद)
सिरोही

क्रमांक/रसद/प्राधिकार/2018/178 दिनांक 6 .03.2018

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर ।
2. जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी सिरोही को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

6-3-18

जिला कलेक्टर (रसद)
सिरोही

Scanned by CamScanner